

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.3/एच-2/2008/ 3314

भोपाल,दिनांक: 17.12.08

प्रति,

- (1) समस्त संयुक्त संचालक,  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
- (2) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,  
कोष एवं लेखा पेंशन मध्यप्रदेश ।
- (3) समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश ।
- (4) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
मध्यप्रदेश ।
- (5) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषय:- स्वयं के व्यय पर बी.एड./बी.टी.आई किये जाने पर दो वेतनवृद्धि प्रदाय करने के आदेश दि. 13.02.2007 के संबंध में स्पष्टीकरण ।  
संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क. एफ 7-44/1996/20-4 भोपाल,दिनांक 12 नवम्बर, 2008

cccc

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासन के संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें । उपरोक्त वर्णित आदेश द्वारा स्वयं के व्यय पर बी.एड./बी.टी.आई.किये जाने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदाय करने संबंधी शासन आदेश दिनांक 13.02.07 के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

शासन के संदर्भित आदेश में निहित शर्तों के अध्यधीन प्रकरणों का निराकरण अविंब कराया जाये एवं इस विषय से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों को भी आदेश की प्रतियां प्रेषित कर न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी जारी करें ।



संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक: 17.12.08

पृ.कमांक/स्था.3/एच-2/2008/ 3315  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव.म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा की ओर पत्र क. एफ 7-44/1996/बीस-4 भोपाल,दिनांक 12 नवम्बर, 2008 में दिए गए निर्देश के परिपालन में सादर सूचनार्थ ।



संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन


--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2008

क्रमांक एफ 7-44/1996/20-4 :: शिक्षक संवर्गों द्वारा स्वयं के व्यय पर बी.एड./ बी.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप विभाग द्वारा दो अग्रिम वेतनवृद्धियों स्वीकृत करने के आदेश क्रमांक एफ 18-45/2002/वि.प्र./20 दिनांक 17-10-2003 के पश्चात आदेश क्रमांक एफ 7-44/1996/20-4 दिनांक 13-02-2007 को जारी किये गये हैं। अतः राज्य शासन, उक्त आदेश दिनांक 13-02-2007 की कडिका 2 (1) एवं 2 (2) के संबन्ध में निम्नांकित स्पष्टीकरण जारी करता है :-

“ ऐसे शिक्षक जिन्होंने एन.सी.टी.ई./ विश्वविद्यालय/ शिक्षा मण्डल से बी.एड./ बी.टी.आई. किया है, उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे तथा प्रशिक्षण हेतु सक्षम स्वीकृति की शर्त को विलोपित किया जाता है।”

2- उपरोक्त स्पष्टीकरण वित्त विभाग के क्रमांक 1682/08/नि/चार, दिनांक 21-10-2008 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार  
  
(ए.एस.संगार)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 2008

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 7-44/1996/बीस-4

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/ राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर टीप क्रमांक 1682/08/नि/चार, दिनांक 21-10-2008 के अनुक्रम में सूचनार्थ।

//2//

3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल मध्यप्रदेश।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा पेंशन मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/ जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
13. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग कक्ष 1, 2, एवं 3 मंत्रालय भोपाल।
14. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
15. महामंत्री, मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, 69/ 1, दक्षिण तात्या टोपे नगर भोपाल।
16. महामंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, 48/ 1, साउथ टीटी नगर भोपाल।
17. आर्डर बुक/ स्थापना शाखा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग